



डजिटल इंटेलिजेंस यूनिट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने अवांछित वाणज्यिक संचार (UCC) की शिकायतों और वित्तीय धोखाधड़ी (वर्षीय रूप से डजिटल भुगतान के क्षेत्र में) के मामलों से निपटने के लिये डजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है।

- DIU के अलावा सभी 22 लाइसेंस सेवा क्षेत्र स्तरों पर 'टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्युमर प्रोटेक्शन' (TAF COP) का विकास किया जाएगा।
- यह 'दूरसंचार वाणज्यिक संचार ग्राहक वरीयता वनियम' (TCCCP), 2018 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो भारत में 'अवांछित वाणज्यिक संचार' (UCC) को वनियमित करने के लिये एक संशोधित नियामक ढाँचा प्रदान करता है।

प्रमुख बंदि:

पृष्ठभूमि:

- हाल ही में दल्लि उच्च न्यायालय (HC) ने भारतीय दूरसंचार वनियामक प्राधिकरण (TRAI) को आदेश दिया कि वह अवांछित वाणज्यिक संचार (UCC) पर अंकुश लगाने के लिये वर्ष 2018 में दल्लि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए वनियमन के "पूर्ण और सख्त" कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे।
- इससे पहले नवंबर 2020 में TRAI ने भारत संचार नगिम लमिटेड, वोडाफोन आइडिया और रलियंस जियो इन्फोकॉम जैसी दूरसंचार कंपनियों द्वारा अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच अपने नेटवर्क पर होने वाले UCC को नयित्तरति करने के लिये पर्याप्त उपाय न करने के कारण उन पर 30 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया था।
- भारतीय रजिस्टर बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पछिले एक वर्ष में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के दुरुपयोग, पहचान की क्लोनगि और स्पैम से संबंधित 220 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की बात कही। DIU इस खतरे को कम कर सकता है।

डजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (Digital Intelligence Unit):

- **उद्देश्य:**
 - दूरसंचार संसाधनों से जुड़ी कसि भी धोखाधड़ी की गतविधि की जाँच में वभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
- **महत्त्व:**
 - **अवांछित वाणज्यिक संचार (UCC) की जाँच:**
 - UCC का मुद्दा दूरसंचार मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधिकरण (TRAI) के लिये चिता का प्रमुख वषिय रहा है। UCC को रोकने के नरिदेशों का पालन नही करने के कारण समय-समय पर दूरसंचार ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया गया है।
 - **शिकायतों का प्रभावी नविवरण:**
 - शिकायतों के प्रभावी नविवरण के लिये DIU के अलावा एक वेब और मोबाइल एप के साथ-साथ एक एसएमएस-आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी।
 - **डजिटल इकोसिस्टम के प्रत वशिवास बढ़ाना:**
 - डीआईयू प्रणाली डजिटल पारसिथतिकी तंत्र के प्रत लोगों के वशिवास को मज़बूत करेगी और वित्तीय डजिटल लेन-देन (मुख्य रूप से मोबाइल से संबंधित) को अधिक सुरक्षित और वशिवसनीय बनाएगी, जसिके परणामस्वरूप डजिटल इंडिया को बढ़ावा मल्लेगा।
 - **ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं पर UCC:**
 - TRAI ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं के माध्यम से किये जाने वाले अवांछित वाणज्यिक संचार से निपटने के लिये एक परामर्श पत्र प्रस्तुत करने वाला है। हालाँकि वर्तमान में लॉन्च की गई प्रणालियाँ ओवर-द-टॉप (OTT) सेवा प्रदाताओं जैसे-व्हाट्सएप पर UCC के मुद्दे को संबोधित नही करती हैं।
 - दूरसंचार वाणज्यिक संचार ग्राहक वरीयता वनियम, 2018 ने दूरसंचार पारसिथतिकी तंत्र के सभी हतिधारकों के लिये मानदंडों को सख्त किया है, ताकि उपयोगकर्ताओं को अवांछित कॉल या एसएमएस के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा मल्लि सके।

हालाँक़ाँ यूँसीसी के मामले में OTT सेवा प्रदाता अब तक इन नयियों की पहुँच से बाहर हैं ।

भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधकिरण

(Telecom Regulatory Authority of India):

सांवाधकि नकाय:

- TRAI की स्थापना वर्ष 1997 में 'भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधकिरण अधनियम, 1997' द्वारा की गई थी

उददेश्य:

- दूरसंचार सेवाओं के लयि टैरफि के नरिधारण/संशोधन सहति दूरसंचार सेवाओं को वनियमति करना ।
- एक नषिपक्ष और पारदर्शी नीतवातावरण प्रदान करना जो सभी को सामान स्तर पर भागीदारी के अवसर के साथ नषिपक्ष प्रतसिपर्द्धा की सुवाधि देता है ।

हालया संशोधन :

- वर्ष 2000 में 'दूरसंचार ववािद नपिटान और अपीलीय न्यायाधकिरण (Dispute Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT) की स्थापना के लयि ट्राई अधनियम में संशोधन कया गया थ और इसके साथ ही अधनिरिणय तथा ववािद नसितारण से जुड़े TRAI के कार्यों को TDSAT को सौंप दया गया ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digital-intelligence-unit>